25-7-25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया गया विस्तृत अंतिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकस हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 150/2019

काना पिता रामलाल जाति गुर्जर निवारी काटून्दा तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोदा पिता रामलाल जाति गुर्जर निवारी काटून्दा तहसील बेगूँ
2. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.07.2024

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वादपत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री के. सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा काटून्दा प0ह0 काटून्दा की वर्तमान खतौनी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 886 खातेदार कानला गोदा पिता रामलाल गुर्जर सा.देह में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
1366 मी.	0.5400
1396 मी.	0.2100
1397 मी.	0.0800
1399 मी.	0.3200
2657/1400	0.1500
किता–05	रकबा 1.3000 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 होकर इसी अनुसार कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने ,काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 को तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित आराजी में अपना निहित हक हिस्सा 1/2 को जरिये बंटवारडा पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:–

अ– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1366 मी0,1396मी0, 1397मी0 1399मी0 एवं 2657/1400 योग किता 7 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि में वादी का 1/2 जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

ब– अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन प्राप्ती के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में वादी काना पिता रामलाल के साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तत कर शपथ पत्र में दावे में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 एवं नक्शाट्रेस प्रदर्श–2 के रूप में पढे जाने हेतु अंकित किये गये है। पत्रावली में साक्ष्य वादी की एक तरफा होने के उपरान्त वादपत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एक तरफा बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई जिन्होने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वादी का हिस्सा पृथक करा राजस्व रिकोर्ड में स्वतंत्र दर्ज कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 अंकित होकर आराजी

न में खातेदारी हक से संयुक्त रूप से दर्ज रिकोर्ड है, वादी काना अपना हिस्सा 1/2 पृथक करा पाने धिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा कादून्दा की आराजी संख्या 1366 मी0,1396मी0, 1397मी0 1399मी0 एवं 2657/1400 योग किता 7 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि में वादी का 1/2 घोषित किया जाता है, तथा वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निर्णय की प्राथमिक डिकी जारी की जाकर प्राथमिक डिकी प्रति तहसीलदार, बेगूँ को आराजी का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में तलब किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को भेजी जाती है।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में मिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक /भू.अ./प्रा.डी./2024/2438 दिनांक 01.07.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिकी की घोषणा किया जाने योग्य है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा कान्दूदा प0ह0 कान्टदा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी काना पुत्र रामलाल गुर्जर सा. देह खातेदार रहन बी.आर.जे.बी. शाख कादून्दा मोड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1366मेसे	0.1050	बंजड	0.19
1396मेसे	0.1050	बीड	0.27
1397मेसे	0.0400	बी	0.17
1399मेसे	0.1600	बीड	0.40
2657/1400मे	0.0750	बंजड	0.14
2801/1366मे	0.1650	बंजड	031
किता– 06	0.6500		1.48

प्रतिवादी गोदा पुत्र रामलाल गुर्जर सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाख कादून्दा मोड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1366मेसे	0.1050	बंजड	0.20
1396मेसे	0.1050	बीड	0.26
1397मेसे	0.0400	बी	0.18
1399मेसे	0.1600	बीड	0.40
2657/1400मे	0.0750	बंजड	0.14
2801/1366मे	0.1650	बंजड	030
किता– 06	0.6500		1.48

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 150/2019

1. काना पिता रामलाल जाति गुर्जर निवासी काटून्दा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. गोदा पिता रामलाल जाति गुर्जर निवासी काटून्दा तहसील बेगूँ
2. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा कान्दूदा प0ह0 कान्टदा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी काना पुत्र रामलाल गुर्जर सा. देह खातेदार रहन बी.आर.जे.बी. शाख काटून्दा मोड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1366मेसे	0.1050	बंजड	0.19
1396मेसे	0.1050	बीड	0.27
1397मेसे	0.0400	बी	0.17
1399मेसे	0.1600	बीड	0.40
2657/1400मे	0.0750	बंजड	0.14
2801/1366मे	0.1650	बंजड	031
किता– 06	0.6500		1.48

प्रतिवादी गोदा पुत्र रामलाल गुर्जर सा. देह खातेदार रहन बैंक आफ बडौदा शाखा काटून्दा मोड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1366मेसे	0.1050	बंजड	0.20
1396मेसे	0.1050	बीड	0.26
1397मेसे	0.0400	बी	0.18
1399मेसे	0.1600	बीड	0.40
2657/1400मे	0.0750	बंजड	0.14
2801/1366मे	0.1650	बंजड	030
किता– 06	0.6500		1.48

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

कमांक/सरिस्ता/2024/ 372 दिनांक:– 26.7.24

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूँ को अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ